भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-91

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

विद्यालयों हेतु नए सुरक्षा दिशानिर्देश

†*91. **श्री बिप्लब कुमार देब:**
श्री नव चरण माझी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देशों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) ऐसी सुरक्षा संबंधी समस्याओं का ब्यौरा क्या है जिनका समाधान इन दिशानिर्देशों के द्वारा किया जाएगा; और
(ग) क्या सरकार ने इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

विद्यालयों हेतु नए सुरक्षा दिशानिर्देश के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री बिप्लब कुमार देब और श्री नव चरण माझी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल संरक्षा और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01.10.2021 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

2. एनसीपीसीआर ने विभिन्न दिशा-निर्देशों की जांच की और उन्हें संकलित किया तथा दिनांक 26.02.2018 के "स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल" शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल तैयार किया। यह मैनुअल https://ncpcr.gov.in/uploads/165604923562b54e531fe87_manual-on-safety-and-security-of-children-in-schools-sep-2021-2465-kb.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा स्कूल संरक्षा नीति संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की सरंक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिशा-निर्देश सलाहकार प्रकृति के हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है तथा वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्धन/संशोधन शामिल कर सकते हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्कूल में सुरक्षित वातावरण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन में भूमिकाओं को स्पष्ट करना, स्कूल की गतिविधियों और परिवहन के दौरान बाल संरक्षा के लिए जवाबदेही तय करना और लापरवाही के विरूद्ध सख्त 'शून्य सहनशीलता नीति' लागू करना है।

स्कूल संरक्षा और सुरक्षा पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के स्कूल संरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो सांविधिक प्रकृति के हैं और बिना किसी विचलन के उनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

एनडीएमए के दिशा-निर्देशों में वार्षिक मॉक ड्रिल आयोजित करना, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण, ज्वलनशील और विषाक्त सामग्री के भंडारण के संबंध में संरक्षा मानदंडों का पालन और केवल उन स्कूलों को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल है जो विशेष रूप से अग्नि संरक्षा से संबंधित संरचनात्मक संरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं जैसे निर्धारित क्रियाकलापों के संबंध में स्कूल संरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रावधान है।

दिनांक 22.08.2024 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल संरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देशों को लागू करने की बात दोहराई।

*****